



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-306

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 197233 दिनांक 10/01/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	MAMTA MEENA W/o SOMENDRA KUMAR MEENA	श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गंगाराम चौधरी	7	171.66 SQ. METER	Private	GANGA ENCLAVE IV	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना गंगा एनक्लेव चतुर्थ के भूखण्ड संख्या 7 क्षेत्रफल 171.66 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 13.12.2012 को श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गंगाराम चौधरी के नाम से जारी की गई थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2021 को श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गंगाराम चौधरी के द्वारा श्री राजकुमार मीना पुत्र श्री सत्य नारायण मीणा को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2023 को श्री राजकुमार मीना पुत्र श्री सत्य



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नारायण मीणा के द्वारा श्रीमती ममता मीना पत्नि श्री सोमेन्द्र कुमार मीणा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूखण्ड के एक से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है। आवेदिका द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. MAMTA MEENA W/o SOMENDRA KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |